न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– 33 / 2019
आर.सी.एम.एस. :– 2019 / 00060
दायर तिथि :– 27.06.2019
तारीख निर्णय :– 01.01.2020

प्रार्थी :–
रमेश कुमार पुत्र हीराराम, जाति सरगरा
निवासी – पालडी, तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 01.01.2020

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पालडी, पटवार क्षेत्र पालडी में स्थित खसरा नं. 1106 रकबा 0.31 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम आयी हुई स्थित है, जिसके चारों तरफ अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 1107 आयी हुई स्थित है।

(2) प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1106 में आने जाने हेतु गांव पालडी के मुख्य रास्ते से होत हुए खेतों में जाने वाले रास्ते से होते हुए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1107 में से उत्तर दिशा की तरफ से प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आना जाना किया जाता है। जिस रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट / जबाव में यह बताया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1106 में आने जाने हेतु रास्ते का पूर्व में राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई विकल्प नहीं है व निकटतम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता खसरा नं. 1023 से सरकारी भूमि के खसरा नं. 1107 में से होकर प्रार्थी अपने खेत में आना जाना करता आ रहा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 1106 में आने जाने हेतु खसरा नं. 1107 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने से कदिमी रास्ते से खसरा नं. 1023 रकबा 0.70 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्तें से आना जाना हो रहा है। उक्त रास्ते की भूमि बंजड (चारागाह) होने से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किया जाना न्यायोचित है।

सरकारी पैरोकार के जबाव अनुसार प्रार्थी ने चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अपनी भूमि में से पीछे की तरफ माठ के सामानान्तर भूमि देने हेतु सहमति प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में 100 रूपये स्टाम्प पर समर्पणनामा पेश किया है, जो समर्पणनामा स्वीकार किया जाकर पत्रावली में रेकर्ड पर लिया गया है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1106 में आने जाने हेतु सरकारी भूमि के खसरा नं. 1107 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने से कदिमी रास्ता 4 मीटर की चौडाई में लम्बाई अनुसार दर्ज किया जावें व उक्त भूमि की क्षतिपूर्ति में प्रस्तुत समर्पणनामा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से पीछे की तरफ माठ के सामानान्तर भूमि चारागाह हेतु सरकारी खाते में दर्ज की जावें। पटवारी हल्का पालडी व तहसीलदार सुमेरपुर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। तथा संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग व भाग समझा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.01.08 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested